

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय डिण्डौरी (म.प्र.)

पता - अमरकंटक रोड महावीर टोला (कूड़ा) डिण्डौरी जिला- डिण्डौरी (म.प्र.)
Email - gpcdindori10266@gmail.com

Website - www.gpcdindori.org

क्रमांक / शापाडि / शैक्ष. / 2019 /


डिण्डौरी दिनांक 17.07.2019

सूचना

इस संस्था के विज्ञापन क्रमांक / शैक्ष. / स्था. / 2019 / 1367 / डिण्डौरी, दिनांक 06.07.2019 के संदर्भ में आवेदन करने वाले निम्न विषयों / संकायो के पैनल बनाने की प्रक्रिया म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 1070 / 2166 / 2018 / 42-1 भोपाल दिनांक 30.06.2018 के संदर्भ में विभाग के आदेश क्रमांक 1047 / 2166 / 2018 / बयालीस -1 भोपाल, दिनांक 12.07.2019 में जारी निर्देशों के परिपालन में निरस्त की जाती है।

- (1) सिविल इंजी.
- (2) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.
- (3) अंग्रेजी
- (4) भौतिक शास्त्र
- (5) रसायन शास्त्र

संलग्न :- शासन का आदेश दिनांक 12.07.2019।


प्राचार्य,
शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय
डिण्डौरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

1047
क्रमांक 2166/2018/बयालीस-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

संचालक,
तकनीकी शिक्षा, भोपाल

विषय:- स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं शासकीय/स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालय में मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति बाबत।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल का आदेश क्र0 1070/2166/2018 /42-1 दिनांक 30 जून 2018

- - - 0 - - -

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित शासन आदेश के निरन्तरता के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. उपरोक्त संस्थाओं में वर्तमान में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को ही आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अधिकतम 11 माह के लिए नियुक्ति दी जावे। इसके लिए पृथक से अन्य कोई कार्यवाही/ विज्ञापन/ चयन प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
2. किसी संस्था में संबंधित विभाग/संकाय के रिक्त पद की पदपूर्ति नियमित प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/व्याख्याता से किये जाने पर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जावेगा। इस दशा में संबंधित मेहमान प्रवक्ता के पास विकल्प होगा कि वह उक्त संस्था में रिक्त हुए पद पर सहमति के आधार पर कार्यभार ग्रहण कर सकेगा।
3. पदपूर्ति होने पर मेहमान प्रवक्ता को उक्त संस्था में अन्य रिक्त पद पर तभी कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा जब वह संबंधित विभाग/संकाय में उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता को पूर्ण करता हो। अर्हता पूर्ण न करने पर मेहमान प्रवक्ता को विकल्प नहीं दिया जावेगा और उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जावेगा।
4. मेहमान प्रवक्ता की नवीन भर्ती के लिए विज्ञापन केवल उन्ही रिक्त पदों के लिए जारी किए जावें, जिन पदों पर मेहमान प्रवक्ता पूर्व से नियुक्त नहीं हैं अथवा पद रिक्त है या मेहमान प्रवक्ता स्वेच्छा से पद छोड़कर चले गये हैं, एवं जो पद नए सृजित हुए हैं। रिक्त पद की पूर्ति नियमित प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/व्याख्याता से किये जाने पर मेहमान प्रवक्ता की सेवायें स्वतः समाप्त हो जावेगीं।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

तक0शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2019

पू0क्र0 1048
2166/2018/बयालीस-1
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौ0वि0 एवं रोजगार विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौ0वि0 एवं रोजगार विभाग।
3. प्राचार्य, स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय..... (समस्त)
4. प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालय..... (समस्त)
5. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

तक0शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार